ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) कपार्ट ने सूचित किया है कि दो परियोजना मूल्यांकनकर्ताओं के संयुक्त दल ने कपाट द्वारा मधुबनी जिले में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही, झंझारपुर (आर० एस०) को स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्यांकन किया था और उक्त संगठन से 9.74 लाख रूपये की वसूली की सिफारिश की थी।

(ख) कपार्ट ने सूचित किया हैं कि उन्हें परियोजना मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्टें 6.1.97 और 5.2.97 को प्राप्त हुई ।

(ग) जी, हां। कपार्ट ने इस स्वैच्छिक संगठन से 9.74 लाख रूपये की वसूली के लिए प्रशासनिक कार्यवाही शुरू की है। तथापि, संगठन ने उक्त कार्यवाई को चुनौती देते हुए उप–न्यायाधीश, झंझारपुर के न्यायालय में 13.2.98 को कपार्ट के विरूद्ध एक दीवानी मुकदमा किया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समेकित बंजरभूमि विकास योजना

1994. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ला** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित बंजरभूमि विकास योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस योजना के अन्तर्गत किन-किन पहलुओं को शामिल किया गया हैं ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इस सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त हुई ;

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी सहायता दी गई ; और

(घ) इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) बंजरभूमि विकास विभाग समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वाटरशेड विकास सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बनेतर बंजरभूमि को विकसित करना है। इस योजना की मुख्य विशेषता स्थानीय तौर पर उपलब्ध कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के जरिए बंजरभूमि के विकास में समुदाय को शामिल करना है।

(ख) और (ग) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत राज्य वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। इस योजना के तहत परियोजना प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा उन्हें ये परियोजनाएं परियोजना-दर-परियोजना आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान 2,32,000 हैक्टेयर बंजरभूमि विकसित करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को 155.75 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी।

(घ) कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए समुदाय की व्यापक स्तर पर भागीदारी अपेक्षित हैं। वाटरशेड संघ, वाटरशेड समितियां, प्रयोक्ता समूह, स्व-सहायता समूह गठित किए गये हैं। राज्य और केन्द्र के स्तर पर कार्यक्रमों की मानीटरिंग और निरीक्षण किया जाता है। राज्य सरकारों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों से कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के लिए बार–बार अनुरोध किया जाता हैं।